भारत सरकार
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्

दिनांक 22 जून, 2011

दिनांक 22 जून, 2011 को 2 मोती लाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की चौदहवीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रो. नरेन्द्र जाधव, प्रो. प्रमोद टंडन, सुश्री अरुणा रॉय, श्री माधव गाडगिल, डॉ. एन. सी. सक्सेना, डॉ. ए. के. शिव कुमार, श्री दीप जोशी, सुश्री अनु आगा, सुश्री फराह नकवी, श्री हर्ष मंदेर और सुश्री मीरई चटर्जी ने भाग लिया।

2. श्री जयराम रमेश, पर्यावरण और वन मंत्री; डॉ (सुश्री) सईदा हामिद, सदस्य, योजना आयोग; लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) भोपिन्दर सिंह, उप-राज्यपाल अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह; श्री जी.के. पिल्लई, गृह सचिव; श्री शक्ति सिन्हा, मुख्य सचिव, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह; और श्री अरविन्द चुघ, सचिव, जनजाति मामले भी जरावा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित थे।

I – जरावा नीति की समीक्षा

3. लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) भोपिन्दर सिंह, उप-राज्यपाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह ने सरकार द्वारा वर्ष 2004 में जरावा लोगों के लिए अपनाई गई नीति और जरावा लोगों की स्थिति के बारे में प्रस्तुति दी। इसके बाद श्री अरविन्द चुग, सचिव, जनजाति मामले मंत्रालय ने प्रस्तुति दी। इस नीति पर हाल में सचिव, जनजाति मामले, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति की उप-समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है, जो अपनी सिफारिशें 3 माह के अंदर दे देगी।

II – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक

4. खाद्य सुरक्षा विधेयक के संयोजक श्री हर्ष मंदेर ने इस विषय पर हुई प्रगति के बारे में सदस्यों को अवगत कराया। कार्य-समूह द्वारा तैयार किये गये कानूनी मसौदे का श्रीमती इंदिरा जयसिंग, एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने कानूनी रूप से पुनरीक्षण किया। मसौदा विधेयक की मुख्य बात यह है कि यह कम-से-कम 90% ग्रामीण परिवारों और 50% शहरी परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। 'प्राथमिकता समूह' के रूप में वर्गीकृत 46% ग्रामीण/28% शहरी परिवारों में प्रति व्यक्ति 7 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा जिसमें गेहूं/चावल/बाजरा क्रमशः 3/2/1 रुपए किलो की दर से मिलेगा। 'सामान्य समूह' के रूप में वर्गीकृत 49% ग्रामीण/22% शहरी परिवारों में प्रति व्यक्ति 4 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा जो हरेक खाद्यान्न के अधिकतम समर्थन मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा। मसौदा विधेयक में जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा अन्य कई सर्वव्यापी गारंटियां भी शुरू की गई हैं जिनमें गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार सहायता और मातृत्व हकदारियां, प्रि-स्कूल केन्द्रों और स्कूलों में तथा स्कूल से बाहर सभी बच्चों को पोषाहार सहायता, बेसहारों को भोजन उपलब्ध करना तथा बेघर और अन्य जरूरतमंद शहरी लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराना, तथा भुखमरी एवं आपात समय में विशेष गारंटी देना शामिल है। इससे इन हकदारियों की रक्षा के लिए एक मजबूत जवाबदेही ढांचे का सृजन होता है और चूककर्ताओं पर जुर्माना लगाने तथा पीड़ितों को मुआवजा देने की अनुमति मिलती है। इसमें केन्द्र से लेकर ब्लॉक स्तर तक एक मजबूत शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र का प्रावधान है जिसमें एक स्वतंत्र और अधिकार सम्पन्न जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पद का सृजन करने की व्यवस्था है।

III – साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय और क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2011

5. सुश्री फराह नकवी ने साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय और क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2011 के बारे में सदस्यों को अद्यतन जानकारी दी। उन्होंने सूचित किया कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के कार्य-समूह ने नागरिकों, नागरिक समूहों और सरकार से साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा की रोकथाम के संबंध में प्राप्त कई सौ सुझावों पर विचार किया। विधेयक की प्रमुख विशेषताओं का फिर से समर्थन करते हुए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने प्राप्त जानकारी के आधार पर 49 संशोधनों पर अपनी सहमति जताई।

6. इनमें सबसे महत्वपूर्ण उस खंड को हटाने पर बनी सहमति है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 355 का हवाला दिया गया है, क्योंकि इससे गलती से यह भय पैदा हुआ है कि इससे संघीय ढांचे में हस्तक्षेप हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा की परिभाषा से संबंधित है, जिसमें 'धर्मनिरपेक्ष ढांचे के विनाश' का संदर्भ शामिल किया गया है। इस बात पर सहमति हुई कि यह एक अधिकतम सीमा है इसलिए इस वाक्यांश को हटा देना चाहिए। राष्ट्रीय प्राधिकरण को बहुत ज्यादा शक्तियां दिए जाने पर कुछ चिंता व्यक्त की गई। इस संबंध में कुछ खंडों को हटा देने पर भी पुनः एकबार सहमति व्यक्त की गई।

7. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का कार्य-समूह दिनांक 23 जून, 2011 को संशोधनों की पूरी सूची वेबसाइट पर डाल देगा। इसके बाद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् विधेयक को भारत सरकार के विचारार्थ भेज देगी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का विश्वास है कि यह विधेयक धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत के मौलिक आधार को मजबूत और सुरक्षित बनाने में ऐतिहासिक कदम होगा, जिसमें देश के सर्वाधिक असुरक्षित नागरिकों को कानून की बराबरी की सुरक्षा मिल सकेगी।

IVपूर्व-विधायी प्रक्रिया

8. जवाबदेही और पारदर्शिता पर कार्य-समूह की संयोजिका श्रीमती अरुणा रॉय ने उल्लेख किया कि सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि मौजूदा संसदीय परामर्शी प्रक्रिया से आगे जाकर लोगों को संप्रभुता के नाम पर महत्वपूर्ण निर्णयों, नीतियों और कानूनों के निरूपण में सीधे तौर पर शामिल किया जाए। सभी प्रस्तावित नीतियों और कानूनों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले उन्हें सार्वजनिक चर्चा के लिए खोल देना चाहिए ताकि प्रस्तावित नीति अथवा कानून के दायरे को चर्चा के दायरे के अनुसार निर्धारित किया जा सके। एक ऐसी सुस्पष्ट प्रक्रिया की जरूरत है जिसमें नीति तैयार करने पर लिए गए निर्णय के समय से लेकर उसके विधेयक के रूप में संसद में रखे जाने तक हरेक स्तर पर जन-भागीदारी और विचार-विमर्श हो। सरकार को उन सिद्धांतों और जरूरतों, जो नीतिगत निर्णय, सुझाए गए ढांचे और दायरे आदि को उचित ठहराते हैं, के बारे में स्पष्ट रूप से और सक्रियता के साथ संबंधित लोगों को बताना होगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने निर्णय लिया कि जवाबदेही और पारदर्शिता पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का कार्य-समूह 'पूर्व-विधायी परामर्शी प्रक्रिया' पर एक नीति तैयार कर उसकी सरकार को सिफारिश करेगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की आगामी बैठक 28 जुलाई, 2011 को निर्धारित की गई है।